भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 110
जिसका उत्तर गुरुवार, 20 जुलाई, 2023 को दिया जाना है

यूसीसी को लागू किया जाना

110. श्री राम नाथ ठाकुर :

क्या **विधि और न्यायमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार समान नागिरक कानून (यूसीसी) बनाने की दिशा में अग्रसर है;

(ख) यदि हां तो उसकी रूपरेखा क्या है; और

(ग) क्या सरकार न्यायालयों का कामकाज अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी में करने पर विचार कर रही है जिससे आम आदमी अपनी भाषा में समझ सके?

उत्तर
विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ख) : 21वें विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता से संबंधित विभिन्न मुद्दों की परीक्षा की है और विस्तृत चर्चा के लिए अपनी वेबसाइट पर 31.08.2018 को "कुटुंब विधि के सुधार" शीर्षक वाला परामर्श पत्र अपलोड किया है । तथापि, उक्त परामर्श पत्र के जारी करने की तारीख से तीन वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है, 22वें विधि आयोग नें इस विषय पर नए सिरे से विचार विमर्श करना समीचीन समझा । तदनुसार, 22वें विधि आयोग ने तारीख 14.06.2023 की सूचना के द्वारा समान नागरिक संहिता पर पणधारियों के विचारों और रायों के लिए निवेदन करना विनिश्चित किया । अतः, इस स्तर पर मॉडेलिटी का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

(ग) : जी नहीं ।

****